संख्या-12/2019/232/कनिप्र/26-3-2019-18(71)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक :15 फरवरी, 2019

समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पलिया के ग्राम सुआ एवं भूडा मे पिच रोड, इंटर लाकिंग तथा नाली निर्माण की कुल पारियोजना लागत रू0 866.06 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या-34/2018/ 486/ कनिप्र/26-3-2018-18(71)/2018 दिनांक 05 दिसम्बर,2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष कार्य कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर,2018 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(यू0पी0आर0एन0एस0एस0) के स्थान पर अब प्रश्नगत कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराये जाने हेतु उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3- उपरोक्त क्रम में प्रश्नगत कार्यो हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर,2018 द्वारा आवंटित धनराशि रू0 70.00 लाख चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त शासनादेश संख्या-34/2018/ 486/ कनिप्र/26-3-2018-18(71)/ 2018 दिनांक 05 दिसम्बर,2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-12/2019/232(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी लखीमपुर खीरी।
4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखीमपुर खीरी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0 एस0एस0) लखनऊ को इस आशय से कि कृपया संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 द्वारा आवंटित धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0(यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7-प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0(यू.पी.सी. एल.डी.एफ.) लखनऊ।
8-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in